राजस्थान सरकार

प्राविधिक शिक्षा मण्डल राजस्थान,

डब्ल्यू–6 रेजीडेन्सी रोड, जोधपुर

(1/3)

कमांकः एफ 5( )प्राशिमं / सामान्य / 2016–17 / 273 दिनांक 3 JAN 2018

प्रधानाचार्य,

प्रा.शि.मं.से संबंद्ध समस्त राजकीय एवं निजी पॉलिटेक्निक महाविद्यालय (सह शिक्षा एवं महिला) द्वारा ई मेल।

विषय :– तृतीय वर्ष सत्र् 2016–17 की स्पेशल परीक्षा के संबंध में दिशा–निर्देश।

महोदय,

विषयान्तर्गत लेख है कि तृतीय वर्ष 2016–17 की स्पेशल परीक्षा के आयोजन के लिए स्थापित किये गये परीक्षा केन्द्रों की सूची आपको मण्डल पत्रांक एफ 5 ( )प्राशिमं / सामान्य / 2016–17 / 9810–11 दिनांक 28.12.17 द्वारा प्रेषित की जा चुकी है। आप अपने महाविद्यालय का परीक्षा केन्द्र नोट करें तथा विद्यार्थियों को भी अवगत करवाना सुनिश्चित करें। स्थापित किये गये परीक्षा केन्द्रों की **सूची** इस पत्र के साथ संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।

परीक्षाओं के सफल व सुचारू संचालन एवं अप्रत्याशित समस्याओं के समाधान हेतु मण्डल में एक नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया है। नियंत्रण कक्ष के अधिकारियों के नाम एवं मोबाईल नम्बर निम्नानुसार है :–

क.सं.	अधिकारी का नाम	पद	मोबाईल नम्बर
1	श्री पुरूषोत्तम सांखला	संयुक्त निदेशक एवं सचिव	98290 77277
2	श्रीमती अमिता बापना	संयुक्त निदेशक	94600 53890
3	श्री राजेश व्यास	विभागाध्यक्ष	94132 49088
4	श्री शंकर लाल भाटी	सिस्टम एनालिस्ट (संयुक्त निदेशक)	94141 34399

Email Add. - exam.bter@gmail.com
web site : http://www.techedu.rajasthan.gov.in, hte.rajasthan.gov.in
Office Phone No. 0291- 2430440
0291- 2636572

परीक्षाओं के सफल आयोजन के लिए निम्नानुसार निर्देशित किया जाता है :–

1. प्रत्येक निजी पॉलिटेक्निक महाविद्यालयों को उनके लिए निर्धारित परीक्षा केन्द्र के लिए एक समन्वयक अधिकारी (जो कि विभागाध्यक्ष स्तर का हो) एवं एक लिपिकीय वर्ग के कर्मचारी की नियुक्ति करनी होगी जो कि मण्डल एवं परीक्षा केन्द्र के साथ समन्वय रखते हुए परीक्षा के सफल आयोजन में सहयोग प्रदान करेंगें।

2. परीक्षा केन्द्र आवंटित होने के तुरन्त बाद निजी पॉलिटेक्निक महाविद्यालयों द्वारा नियुक्त समन्वयक अधिकारी उनके महाविद्यालय के विद्यार्थियों के लिए स्थापित किये गये परीक्षा केन्द्र के प्राचार्य से सम्पर्क स्थापित करेंगें। प्राचार्य का यह दायित्व होगा कि वे समन्वयक अधिकारी को महाविद्यालय के प्राचार्य / केन्द्रअधीक्षक का नाम व मोबाईल नम्बर उपलब्ध करवायेंगें।

3. समस्त निर्धारित किये गये परीक्षा केन्द्रों को प्राविधिक शिक्षा मण्डल द्वारा जारी किये गये परीक्षा के टाईम टेबल के अनुसार मण्डल की सैद्धान्तिक परीक्षाओं का आयोजन करवाना होगा। परीक्षा का टाईम टेबल मण्डल पत्रांक प 7(4)प्राशिमं. / परीक्षा / 2017 / 9715 दिनांक 22.12.17 को प्रेषित किया जा चुका है। स्पेशल परीक्षा का टाईम टेबल मण्डल की वेब साईट पर भी उपलब्ध है।

2/3

4. परीक्षा हेतु मण्डल द्वारा जिन पॉलिटेक्निक महाविद्यालय (सह शिक्षा एवं महिला) में परीक्षा केन्द्र स्थापित किया गया है उनके प्राचार्य/कार्यवाहक प्राचार्य को परीक्षा केन्द्र अधीक्षक नियुक्त किया गया है। केन्द्राधीक्षक मण्डल के प्रावधानानुसार परीक्षा आयोजन हेतु अन्य स्टाफ यथा अतिरिक्त केन्द्राधीक्षक, वीक्षक इत्यादि की नियुक्ति करेंगें। दिशा–निर्देश एवं परीक्षा के संबंधित प्रपत्र मण्डल की वेब साईट techedu.rajasthan.gov.inपर उपलब्ध है।

5. प्राचार्य/केन्द्राधीक्षक को सफल परीक्षा आयोजन हेतु सचिव, प्राविधिक शिक्षा मण्डल, राजस्थान, जोधपुर द्वारा प्रदत्त समस्त निर्देशों की पालना करनी होगी।

6. प्राचार्य/केन्द्राधीक्षक मण्डल द्वारा परीक्षा केन्द्र के लिए नियुक्त किये गये पर्यवेक्षक, उड़नदस्ता अधिकारियों के अतिरिक्त अन्य किसी बाह्य व्यक्ति को परीक्षा केन्द्र में प्रवेश की अनुमति नहीं प्रदान करेंगें।

7. परीक्षार्थियों के परीक्षा फार्म एवं रोल लिस्ट व परीक्षा आयोजन हेतु मण्डल द्वारा प्रदान किये जाने वाली अन्य सामग्री पूर्व की भांति मण्डल की विभिन्न शाखाओं के प्रभारियों द्वारा निजी पॉलिटेक्निक महाविद्यालयों के प्रतिनिधियों को ही प्रदान की जायेगी। निजी पॉलिटेक्निक महाविद्यालयों के प्राचार्यों की जिम्मेदारी होगी कि वे समय पर महाविद्यालय के लिए निर्धारित परीक्षा केन्द्र को यह सामग्री सुपुर्द करेंगें तथा प्रत्येक परीक्षार्थी को प्रवेश पत्र निजी पॉलिटेक्निक महाविद्यालय के द्वारा ही उपलब्ध करवाये जायेंगें।

8. परीक्षा के प्रश्न पत्रों के सीलड बॉक्स उन पॉलिटेक्निक महाविद्यालयों जिनमें परीक्षा केन्द्र स्थापित किये गये हैं को निर्धारित रूट से वाहनों द्वारा भिजवाये जायेंगें। प्राचार्य द्वारा प्राप्ति रसीद मण्डल को प्रेषित की जायेगी। प्राचार्य/केन्द्राधीक्षक का यह दायित्व होगा कि उनके द्वारा प्रश्न पत्रों के पैकेट परीक्षा केन्द्र/संस्थान के स्ट्रोंग रूम/डबल लोक/नजदीकी पुलिस थाना में निर्देशानुसार सुरक्षित रखे जायेंगें। प्राचार्य/केन्द्राधीक्षक प्रश्न पत्र तिथिवार एवं समायानुसार जमाकर सुरक्षित रखेंगें एवं प्रतिदिन के लिए आवश्यक प्रश्न पत्रों के पैकेट ही निकालकर निर्धारित समय सारणी से मिलान कर परीक्षा का आयोजन करवायेंगे। (इस वर्ष तृतीय वर्ष की परीक्षा दो पारी में आयोजित की जा रही है अतः अधीक्षक ब्रांच व प्रश्न पत्र का मिलान समय सारणी से अच्छी तरह जांच कर लेवें।

9. परीक्षा आयोजन के पश्चात् उत्तर पुस्तिकाओं के बण्डल प्रेषित करने के लिए संयुक्त निदेशक (गोपनीय) द्वारा विस्तृत दिशा–निर्देश जारी कर दिये जायेंगें। उत्तर पुस्तिका के बण्डल परीक्षा केन्द्र/संस्थान के स्ट्रोंग रूम/डबल लोक/नजदीकी पुलिस थाना में सुरक्षित रखे जायेंगें एवं संयुक्त निदेशक (गोपनीय) द्वारा जारी कार्यक्रम के अनुरूप परीक्षा प्राचार्य/केन्द्राधीक्षक द्वारा ही मण्डल को भेजा जायेगा।

10. स्थापित किये गये परीक्षा केन्द्रों को परीक्षा हेतु स्थान, फर्नीचर, वीक्षक, अतिरिक्त केन्द्राधीक्षक, केन्द्राधीक्षक एवं मंत्रालयिक कर्मचारी एवं सहायक कर्मचारी आदि उपलब्ध करवाने होंगें। स्टाफ हेतु मण्डल की देय दरों पर पारिश्रमिक का भुगतान किया जायेगा। इसके लिए परीक्षा केन्द्र के प्राचार्य/केन्द्राधीक्षक को परीक्षा समाप्ति के पश्चात् मण्डल के निर्धारित प्रपत्रों फार्म – 44 के अनुसार बिल प्रस्तुत करने होंगें। प्रपत्र मण्डल की वेब साईट techedu.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध है। बिलों को मण्डल में प्रस्तुत करते समय सभी अधिकारियों/कर्मचारियों के बैंक खाता नम्बर, बैंक का नाम व बैंक का आई एफ एस सी कोड अवश्य प्रस्तुत करना है जिससे सभी का ऑन लाईन भुगतान किया जा सके। परीक्षा के संचालन में कार्यरत कार्मिकों की प्रत्येक दिवस की उपस्थिति भी बिल के साथ संलग्न कर मण्डल को प्रेषित करेंगें।